

आपूर्ति शृंखला नीति संहिता

नीति स्वामी:	स्पेंसर कैल्लवेल, सेवा प्रमुख
अनुमोदक:	स्पेंसर कैल्लवेल, सेवा प्रमुख
नीति संपर्क:	माइक मूलनबर्ग, उपाध्यक्ष, आपूर्तिकर्ता एवं अनुबंध प्रबन्धन
जारी करने की तिथि:	21 अप्रैल 2025
पिछला अद्यतन:	21 अप्रैल 2025
वर्गीकरण:	सार्वजनिक

A. पृष्ठभूमि

Thomson Reuters (TR) हर मोड़ पर सही कार्य करने का प्रयास करता है, कई अलग-अलग कानूनों और हम जहां भी व्यवसाय करते हैं वहां के हम पर लागू होने वाले नियमों और आचरण के मानकों का अनुपालन करते हुए अपने व्यवसाय को सत्यता से एवं अच्छे निर्णय के साथ संचालित करता है। हम उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ सुदृढ़ व्यावसायिक संबंध विकसित करने के प्रति भी कटिबद्ध हैं जो हमारे अपने समकक्ष नैतिक मानकों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उनके व्यापारिक कार्य-व्यवहार Thomson Reuters के ग्राहकों, निवेशकों और वैश्विक समुदाय की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

Thomson Reuters में, हमारा मानना है कि संवहनीयता की परिचर्चाओं से जुड़कर और अपनी आपूर्ति शृंखला में पर्यावरण जांचों को लागू कर, हम अपने ग्राहकों, निवेशकों और समुदाय को कुशल, संवहनीय (टिकाऊ) कार्य-व्यवहारों को बढ़ावा देने और जलवायु विज्ञान के अनुरूप लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे।

Thomson Reuters के नैतिक मूल्यों और जिस तरह से हम व्यापार करते हैं, वह Thomson Reuters के व्यावसायिक आचार संहिता एवं नीति संहिता में परिलक्षित होते हैं, जो Thomson Reuters के सभी अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, और आकस्मिक कामगारों पर लागू होते हैं।

Thomson Reuters आपूर्ति शृंखला नीति संहिता संपूर्ण विश्व में हमारे आपूर्तिकर्ताओं (अथवा "व्यावसायिक साझेदारों") के लिए विशेष रूप से लागू होती है और व्यवहार के तुलनीय मानकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे हमारी आपूर्ति शृंखला के माध्यम से नैतिक सुधारों के प्रति कटिबद्धता बढ़ जाती है।

B. आपूर्तिकर्ता आवश्यकताएं

एक Thomson Reuters आपूर्तिकर्ता के रूप में, आपको इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

C. परिभाषाएं

इस संहिता में:

- "आपूर्तिकर्ता" या "व्यापारिक साझेदार" से आशय किसी भी उस कंपनी, साझेदारी या व्यक्ति से है जिसके द्वारा Thomson Reuters की समूह कंपनियों के एक या इससे अधिक सदस्यों को व्यापारिक वस्तुओं और/अथवा सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है।
- "कामगार" से आशय उस किसी भी व्यक्ति से है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, काम पर लगाया जाता है या अन्यथा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है।

D. व्यापकता

इस संहिता की शर्तें समान रूप से अग्रलिखितों पर लागू होती हैं (i) आपूर्तिकर्ता की किसी भी अंगीकृत कंपनी तथा (ii) आपूर्तिकर्ता के किसी भी एजेंट या उप-ठेकेदार के लिए इस सीमा तक कि ऐसे एजेंट या उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्तिकर्ता या उसकी अंगीकृत कंपनी के लिए सेवाएं निष्पादित की जा रही हैं।

तदनुसार, "कामगार" शब्द में आपूर्तिकर्ता की अंगीकृत कंपनियों अथवा आपूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ता या उसकी अंगीकृत कंपनियों के उप-ठेकेदारों या एजेंटों द्वारा नियोजित, नियुक्त या अन्यथा काम पर लगाया गया कोई भी व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है।

E. दायित्व

1. कोई बलात नियोजन नहीं

- कार्य स्वैच्छिक होना चाहिए और कामगारों को न तो कार्य करने के लिए, और न बंदी श्रम में किसी अनैच्छिक क्षमता में कार्य करने के लिए विवश किया जाता है और न ही बाध्य किया जाता है। आपूर्तिकर्ता को मानव तस्करी के किसी भी रूप का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसमें भाग नहीं लेना चाहिए और न ही इससे लाभ उठाना चाहिए।
- कामगारों से आपूर्तिकर्ता या उसके एजेंटों को भर्ती शुल्क या अन्य शुल्क का भुगतान करने की मांग या अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए। कामगारों को आपूर्तिकर्ता के पास "अमानत" या उनके पहचान कागजातों (जैसे कि, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेन्स) जमा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और आपूर्तिकर्ता को ऐसे पहचान कागजातों के एक्सेस से इनकार नहीं करना चाहिए। कामगारों को उनके द्वारा यथोचित सूचना देने पर प्रतिशोधों या प्रतिकूल परिणामों के भय के बिना, किसी भी समय आपूर्तिकर्ता के साथ अपने नियोजन या किसी अन्य कार्य-संबंध को समाप्त करने की स्पष्ट स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- सभी कार्य एक कानूनी मान्यता प्राप्त नियोजन या स्वतंत्र ठेकेदार संबंध तंत्र के भीतर, सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करते हुए किए जाने चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता को भर्ती या नियोजन प्रक्रिया के दौरान भ्रामक या कपटपूर्ण कार्य-व्यवहारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना होगा।
- कामगारों को ऐसे प्रारूप और भाषा में आवश्यक नियोजन सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए जो आसानी से समझने योग्य व सुलभ हो। इस जानकारी में उनके नियोजन संबंधी बुनियादी विवरण सम्मिलित हैं, जैसे कि, वेतन, लाभ, कार्यस्थल, जीवन-निर्वाह दशाएं, आवास व्यवस्था, संबंधित लागतें (यदि लागू हों), कामगारों द्वारा वहन किये गए अतिरिक्त शुल्क तथा कार्य से संबंधित कोई भी संभावित जोखिम।
- भर्ती शुल्क या अन्य समान शुल्क जो कामगारों से वसूले जाते हैं और नियोक्ता, भर्ती एजेंट या उप-एजेंट को देय होते हैं, पूरी तरह से निषिद्ध हैं। यदि यह पाया जाता है कि कामगारों द्वारा ऐसे किसी शुल्क का भुगतान किया गया है, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा कामगारों को ऐसा शुल्क वापस करना आवश्यक होगा।

2. कोई बाल श्रम नहीं

- आपूर्तिकर्ता को बाल श्रम का उपयोग नहीं करना चाहिए। "बाल" शब्द का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो (क) 15 वर्ष से कम आयु का अथवा (ख) देश, राज्य या स्थानीय अधिकार क्षेत्र, में नियोजन के लिए न्यूनतम आयु से कम आयु का हो, जो भी अधिक हो।
- 18 वर्ष से कम आयु के कामगारों को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना रखते हैं, जिसमें रात्रिकालीन पारी में या खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करना सम्मिलित है।

3. संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार

- कामगारों को दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, अपनी पसंद के संगठनों को बनाने और उनमें शामिल होने (या शामिल होने से परहेज करने) और हस्तक्षेप, भेदभाव, प्रतिशोध, या उत्पीड़न के बिना सामूहिक रूप से सौदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता को स्वतंत्र और मुक्त संघ व सौदेबाजी के लिए एक समानांतर साधन प्रदान करना होगा जब संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कानून द्वारा प्रतिबंधित हो।
- आपूर्तिकर्ता को सामूहिक सौदाकारी या समानान्तर माध्यमों में भाग लेने वाले कामगारों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगारों को उनके कार्य कर्तव्यों को निष्पादित करने या कार्यस्थल तक पहुंचने में कोई बाधा न आती हो।

4. कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

- कामगारों को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी कामगारों को नियमित व अभिलिखित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें नये या पुनर्निर्दिष्ट किये गए कामगार भी सम्मिलित हैं।
- आपूर्तिकर्ता को कामकाजी दशाओं के संबंध में सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा।
- व्यावसायिक गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कामगारों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता के पास व्यवसायत्मक बीमारियों और कार्य-संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने तथा अपने कामगारों को सुरक्षित व स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियां, मानक, प्रक्रियाएं, आकस्मिक उपाय और प्रबन्धन प्रणालियां होनी चाहिए।

5. वेतन और लाभ

- श्रमिकों को भुगतान किये जाने वाले वेतन और लाभों को, जिसमें न्यूनतम वेतन, समयोपरि (ओवरटाइम) घंटे और आज्ञापित लाभ भी सम्मिलित हैं, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मानकों के अनुरूप लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना होगा। कामगारों को पूरा और समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा कामगारों को अवैतनिक कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।
- आपातकालीन या असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, कामकाजी सप्ताह 60 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता है, जिसमें ओवरटाइम भी सम्मिलित है।
- सभी कामगारों को उनके नियोजन में प्रवेश करने से पहले ही उनके वेतन और लाभों के संबंध में उनकी नियोजन शर्तों के बारे में लिखित और समझने योग्य जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें हर बार भुगतान किये जाने पर संबंधित वेतन अवधि के लिए उनके वेतन के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुशासनात्मक उपाय के रूप में केवल तभी वेतन काटा जाएगा जब ऐसा करना लागू कानून के अधीन अनुमति हो और कामगार ने स्पष्ट अनुमति प्रदान की हो (उदाहरण के लिए, एक नियोजन संविदा या आपूर्तिकर्ता की नीतियों का पालन करने संबंधी समझौते के माध्यम से)।
- आपूर्तिकर्ता को लागू कानूनों या विनियमों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य-घंटे और भुगतान के बारे में रिकॉर्ड (अभिलेख) रखने चाहिए और Thomson Reuters द्वारा अनुरोध किये जाने पर ऐसे अभिलेख प्रदान करने चाहिए।

6. कोई भेदभाव नहीं

- आपूर्तिकर्ता को एक ऐसे कार्यबल के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए जो उत्पीड़न और गैरकानूनी भेदभाव से मुक्त हो। आपूर्तिकर्ता को नस्ल, रंग, धर्म, आयु, सेक्स, लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिमुखता, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय मूल, नागरिकता की स्थिति, विकलांगता, पूर्व-सैनिक स्थिति अथवा लागू कानूनों या विनियमों द्वारा संरक्षित किसी भी अन्य वर्गीकरण के आधार पर पारिश्रमिक/क्षतिपूर्ति, प्रशिक्षण सुलभता, पदोन्नति, सेवासमाप्ति, या सेवानिवृत्ति के जैसे भर्ती या अन्य नियोजन कार्य-व्यवहारों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- कामगारों को मुक्त आवाजाही का आश्वासन दिया जाना चाहिए और सुरक्षा प्रहरियों द्वारा निगरानी के अधीन नहीं होना चाहिए।
- प्रदान की गई शिकायत प्रक्रियाएं सभी कामगारों के लिए सुलभ होनी चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए, और जहां उपयुक्त हो इनमें गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने का विकल्प सम्मिलित होना चाहिए। कामगारों और/या उनके प्रतिनिधियों को; भेदभाव, प्रतिशोध, धमकी, या उत्पीड़न के भय से मुक्त होकर कार्य करने की दशाओं और प्रबन्धन के कार्य-व्यवहारों के बारे में प्रबन्धन के साथ विचारों व चिन्ताओं को खुले तौर पर

सूचित करने और साझा करने में सक्षम होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता द्वारा कामगारों को सभी शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में समय-समय पर जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

7. कोई कठोर या अमानवीय व्यवहार नहीं

- आपूर्तिकर्ता को शारीरिक दुर्व्यवहार अथवा अनुशासन के सभी रूपों, शारीरिक हानि, यौन या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से संबंधित धमकी के प्रयोग, और मौखिक दुर्व्यवहार या डराने-धमकाने के किसी अन्य साधनों के प्रयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए।

8. रिश्वत-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी

- आपूर्तिकर्ता को सभी लागू रिश्वत-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों व विनियमों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का फ़ॉरेन करप्ट प्रेक्टिसेज़ एक्ट और यूनाइटेड किंगडम का ब्राइबरी एक्ट भी सम्मिलित हैं किन्तु इन तक ही सीमित नहीं हैं।
- आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित को स्वीकार नहीं करना चाहिए, प्रस्तावित नहीं करना चाहिए, उनका वादा नहीं करना चाहिए, उनका भुगतान नहीं करना चाहिए, उन्हें अनुमति या अधिकृत नहीं करना चाहिए:
 - रिश्वत, सुविधा भुगतान, घूस, या अवैध राजनीतिक योगदान;
 - अनुचित लाभ प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए धन, वस्तुएं, सेवाएं, मनोरंजन, नियोजन, अनुबंध/संविदाएं, या अन्य मूल्यवान वस्तुएं; या
 - कोई अन्य अवैध या अनुचित भुगतान या लाभ।
- आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी अभिलेख (रिकॉर्ड्स), भुगतान के सभी अनुरोधों सहित, पूर्ण एवं सटीक रूप से किये गए लेन-देनों, व्ययों और/अथवा सेवाओं को दर्शाते हैं। सभी भुगतानों या प्रतिपूर्ति के अनुरोधों को अधिकृत लिखित रसीदों/पावतियों, चालानों या अन्य उपयुक्त दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जिसमें आपूर्तिकर्ता या Thomson Reuters की ओर से किये गए व्ययों या लागतों और/अथवा निष्पादित कार्य का विवरण दिया जाता हो।
- आपूर्तिकर्ता को Thomson Reuters की ओर से अथवा Thomson Reuters द्वारा प्रदत्त धन से किये गए सभी भुगतानों (किसी भी उपहार, भोजन, मनोरंजन या किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु सहित किन्तु इन तक ही सीमित नहीं) का लिखित लेखा बनाए रखना होगा। Thomson Reuters के अनुरोध पर आपूर्तिकर्ता द्वारा इस लेखांकन की एक प्रति प्रदान की जाएगी।
- आपूर्तिकर्ता को कामगारों की जांच, जुड़ाव, और निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन आवश्यकताओं को समझते हैं और उनका पालन करते हैं।
- आपूर्तिकर्ता को सभी लागू रिश्वत-रोधी व भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों और नियामक मार्गदर्शन का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना होगा।

9. पर्यावरणीय स्थिरता

- आपूर्तिकर्ता को एक ऐसा पर्यावरणीय स्थिरता कार्यक्रम लागू करना होगा (या वर्ष 2025 की समाप्ति तक लागू करेगा), जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त जलवायु विज्ञान के अनुरूप लक्ष्यों को निर्धारित करता हो, जिसमें विज्ञान आधारित लक्ष्यों की पहल द्वारा पहचाने गए लक्ष्य भी सम्मिलित हैं।

- आपूर्तिकर्ता को ऐसे तरीके से परिचालन करना चाहिए जो लागू पर्यावरण कानूनों व विनियमों का अनुपालन करता हो, जिसमें वायु, जल, ठोस अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और ऊर्जा दक्षता/कार्बन फुटप्रिन्ट से संबंधित कानून व विनियम भी सम्मिलित हैं, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं हैं। आपूर्तिकर्ता को स्थानीय समुदायों के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना होगा।

10. डेटा निजता एवं सुरक्षा

- आपूर्तिकर्ता को Thomson Reuters के डेटा को सुरक्षित रूप से और लागू अनुबंध शर्तों तथा डेटा संरक्षण कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रबन्धित करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता को डेटा की गोपनीयता, अखंडता, व उपलब्धता की रक्षा के लिए सभी उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता को डेटा अतिलंघनों और अन्य सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी और अगर Thomson Reuters की जानकारी को प्रभावित करने वाले किसी भी ऐसे डेटा अतिलंघनों या घटनाओं की घटना होती है या हो सकती है, तो Thomson Reuters को तुरन्त सूचित करना होगा।

11. अनुपालन, प्रश्नों और चिन्ताओं की रिपोर्ट को सुनिश्चित करना

- Thomson Reuters द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आपूर्तिकर्ता को इस संहिता के अनुपालन का समर्थन करने संबंधी प्रासंगिक जानकारी और डेटा प्रदान करना होगा।
- ऐसी रिपोर्टिंग पर लागू होने वाले स्थानीय कानूनों और किसी भी कानूनी प्रतिबंध के अधीन, आपूर्तिकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस संहिता के किसी भी उल्लंघन के बारे में, जिससे वह अवगत होता हो, Thomson Reuters को तुरन्त सूचित करे।
- इस संहिता के उल्लंघनों की सूचना को आपूर्तिकर्ता, या उसके किसी भी कामगार द्वारा, Thomson Reuters की व्यावसायिक आचार एवं नैतिकता हॉटलाइन <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/42584/index.html> पर ऑनलाइन संपर्क करके अथवा अमेरिका या कनाडा में +1.877.373.8837 पर कॉल करके दी जा सकती है या संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं [अमेरिका या कनाडा के बाहर हॉटलाइन को कॉल करने के लिए <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/42584/index.html> पर जाएं और “फोन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराएं” (File a Report by Phone) चुनें।]
- आपूर्ति शृंखला नीति संहिता के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए आपूर्तिकर्ता का आवधिक मूल्यांकन किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता को Thomson Reuters की मूल्यांकन प्रक्रिया में सहयोग करना होगा, आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी, और पहचाने गए गैर-अनुपालन का समाधान करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।
- एक पर्याप्त समीक्षा करने की आवश्यकता के अनुरूप, गोपनीयता को अधिकतम संभव सीमा तक बनाए रखा जाएगा।
- आपूर्तिकर्ता को अपने ऐसे किसी भी कामगार के विरुद्ध प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, जो नेकनीयती से कार्य करते हुए, ऐसे कार्य को रिपोर्ट करते हैं जिसे वे यथोचित रूप से मानते हैं कि वह संहिता का उल्लंघन है।